उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–01 / 2017–18
(झुमरी तिलैया नगर परिषद के भवन निर्माण से संबंधित)

राज्य बनाम अधिन सिंह।

आदेश

18-12-17

अभिलेख अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1275 / रा0 दिनांक 08–08–17 से अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अभिलेख में अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेशफलक पृ0सं0–01–से 03 पर प्रतिवेदन अंकित करते हुए जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

कोडरमा अंचल अन्तर्गत मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–2838, रकवा–3.31 एकड़ भूमि की जमाबन्दी पंजी–II के पृ0सं0–231 / 02 पर अधिन सिंह के नाम से दर्ज है। प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ खास / खेसरा से संबंधित रिटर्न, हल्का / अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। समुचित साक्ष्य के अभाव में उक्त जमाबन्दी संदेहात्मक प्रतीत है, अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा उक्त जमाबन्दी को भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 21–08–2017 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित 07 तिथियों तक विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया बल्कि जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग की जा रही है। वाद की निर्धारित तिथि 14–12–2017 को भी विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब दाखिल नहीं किया और समय की मांग की गयी।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग किया गया परन्तु जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है जो प्रदर्शित करता है कि विपक्षी को इस मामले में कोई अभिरूचि नहीं। वे बार–बार समय की मांग कर न्यायालय का समय बरबाद कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी को भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4H के तहत रद्द की जा सकती है जो सरकार के हित में न्यायोचित है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदनों एवं कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–2838, रकवा–3.31 एकड़ भूमि की कायम जमाबन्दी अवैध है।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4H के तहत विद्वान सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–2838, रकवा–3.31एकड़ भूमि की जमाबन्दी अधिन सिंह के नाम से कायम जमाबन्दी 4(H) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land:-मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता नं0–220, प्लॉट नं0–2838, रकवा–3.31एकड़ भूमि।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,कोडरमा।

उपायुक्त,
कोडरमा।